

दिनांक 14.7.2022

14-7-22 पत्रावली पेशा हुयी वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी ने प्रकरण में NOA पेश
जाहेर किया। अतः वादी का वाद खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Not
Proved
[Signature]

